

अनवान

दानाराम वगैराह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला वगैराह

दिनांक 14-09-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या0/2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव मॉ सतीनगर में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 08.06.2022 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार बालेसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच करे और मौका रिपोर्ट तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व पक्षकारान की सुनवाई करने के पश्चात अगर आवश्यक हो तो पुनः निर्णय पारित करे। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर